

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक:- प012(49)वन/2016

जयपुर, दिनांक:- 8 MAR 2018

आदेश

राजस्थान वन सेवा अधिनियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.2.2018 की अनुशंसानुसार निम्नलिखित क्षेत्रीय प्रथम को उपलब्ध सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) की रिक्तियों के वेरुद्ध कार्यभार संभालने की तिथि से एल-14 (56100-177500) में सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल) के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष	पदोन्नति तिथि	विशेष विवरण
1	अब्दुल रफीक खां	2016-17	1.4.2016	सेवा निवृत्त 30.4.2016
2	रविन्द्र कुमार पारीक	2017-18	1.4.2017	
3	श्यामराज यादव	2017-18	1.4.2017	
4	सुभाष चन्द्र	2017-18	1.4.2017	
5	राजबिहारी मित्तल	2017-18	1.4.2017	
6	मदन सिंह चारण	2017-18	1.4.2017	
7	रणवीर सिंह भण्डारी	2017-18	1.4.2017	
8	बनवारी लाल	2017-18	1.4.2017	
9	संजय कौशिक	2017-18	1.4.2017	
10	ओम प्रकाश चौधरी	2017-18	1.4.2017	
11	गुलजारी लाल जाट	2017-18	1.4.2017	
12	अरविन्द कुमार झा	2017-18	1.4.2017	
13	दीपक कुमार पुत्र श्री गणपत सिंह	2017-18	1.4.2017	
14	रामावतार दूधवाल	2017-18	1.4.2017	
15	राजीव लोचन पाठक	2017-18	1.4.2017	
16	कन्हैया लाल शर्मा	2017-18	1.4.2017	
17	सुबोध कुमार राजपूत	2017-18	1.4.2017	
18	देवेन्द्र कुमार तिवाड़ी	2017-18	1.4.2017	
19	गिराज प्रसाद शर्मा	2017-18	1.4.2017	सेवा निवृत्त 31.7.2017
20	पंकज कुमार गुप्ता	2017-18	1.4.2017	
21	गिराज प्रसाद मंगल	2017-18	1.4.2017	
22	सुरेश कुमार गुप्ता	2017-18	1.4.2017	
23	सुशील कुमार सैनी	2017-18	1.4.2017	
24	सतीश कुमार जैन	2017-18	1.4.2017	
25	दिनेश कुमार गुप्ता	2017-18	1.4.2017	
26	अनुराग कुमार भटनागर	2017-18	1.4.2017	
27	राकेश कुमार दुलार	2017-18	1.4.2017	
28	अहमद हारुण कादरी	2017-18	1.4.2017	
29	उमेश कुमार बंसल	2017-18	1.4.2017	
30	नरेन्द्र सिंह शेखावत	2017-18	1.4.2017	
31	जयदेव सिंह चारण	2017-18	1.4.2017	

32	नाहर सिंह सिनसिनवार	2017-18	1.4.2017	
33	लोकेश कुमार शर्मा	2017-18	1.4.2017	
34	ओम प्रकाश शर्मा	2017-18	1.4.2017	
35	ओम प्रकाश सुथार	2017-18	1.4.2017	
36	राजीव कुमार गुप्ता	2017-18	1.4.2017	
37	देवेन्द्र सिंह भाटी	2017-18	1.4.2017	
38	सुरेन्द्र सिंह धाकड	2017-18	1.4.2017	

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के आगे अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नत हैं। उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11(ए) में दिए गए प्रावधानानुसार किया जावेगा।

उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस0बी0 सविल रिट पिटीशन संख्या 1840/2014 ओम प्रकाश शर्मा व अन्य बनाम सरकार में पारित अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(महावीर प्रसाद वर्मा)

संयुक्त शासन सचिव
वन विभाग

राजस्थान सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, वन मंत्री
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), राजस्थान जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

mmd

(मनोज कुमार मिश्रा)
अनुभागाधिकारी